न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 340 सन 2019

अनवान :—

1. हेमन्त पुत्र विजयसिह गोदारा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अजय गोदारा पुत्र प्रेमसिह गोदारा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. प्रेमसिह गोदारा पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. विजयसिह गोदारा पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
3. कृष्णा पुत्री गिरधारीलाल पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. चन्द्रो पुत्री गिरधारीलाल पत्नी श्योनारायण जाति जाट साकिन चौबारा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5. शारदा पुत्री गिरधारीलाल जाति महावीर सिह जाति जाट साकिन चौबारा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6. सावित्री पुत्री गिरधारीलाल पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. सन्तोष पुत्री गिरधारीलाल पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. बिमला पुत्री गिरधारीलाल पत्नी जयमल जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. पुनम पुत्री प्रेमसिह गोदारा पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. ज्योति पुत्री विजयसिह गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
12. रामुर्ति पत्नी प्रेमसिह गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
13. अंजना पत्नी विजयसिह गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 11/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 56/55 की कुल 13.1310हैक व रोही मौज 2 बीकेके के खाता संख्या 46/38 की कुल 6.3240हैक में से 3.710हैक भूमि वादी के दादा गिरधारीलाल के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 283/256 की कुल 1.0120हैक भूमि वादीगण की दादी सरस्वती पत्नी गिरधारीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 266/243 की कुल 13.1300हैक प्रतिवादी संख्या 2 जिययसि हके नाम से दर्ज है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 127/118 की कुल 13.1310हैव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के दादा गिरधारीलाल एवं दादी सरस्वती पत्नि गिरधारीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 है वादीगण के दादा /दादी के देहान्त होने के बाद वाद भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादीगण की बुआ एवं गिरधारीलाल की पुत्रीया है , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि वादीगण के दादा/दादी के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उनके पिता गिरधारीलाल एवं माता सरस्वती देवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ,जो वादी की बुआ/बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहन/पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भतिजों/भाईयों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 11 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 56/55 की कुल 13.1310हैक व रोही मौज 2 बीकेके के खाता संख्या 46/38 की कुल 6.3240हैक में से 3.710हैक भूमि वादी के दादा गिरधारीलाल के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 283/256 की कुल 1.0120हैक भूमि वादीगण की दादी सरस्वती पत्नी गिरधारीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 266/243 की कुल 13.1300हैक प्रतिवादी संख्या 2 जिययसि हके नाम से दर्ज है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 127/118 की कुल 13.1310हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के दादा गिरधारीलाल एवं दादी सरस्वती पत्नि गिरधारीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 है वादीगण के दादा /दादी के देहान्त होने के बाद वाद भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 8 वादीगण की बुआ एवं गिरधारीलाल की पुत्रीया है , प्रतिवादी संख्या 9 ,10 वादीगण की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 56/55 की कुल 13.1310हैक व रोही मौज 2 बीकेके

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व

कोहर

के खाता संख्या 46/38 की कुल 6.3240हैक्‍ में से 3.710हैक्‍ भूमि वादी के दादा गिरधारीलाल के नाम से दर्ज है एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 283/256 की कुल 1.0120हैक्‍ भूमि वादीगण की दादी सरस्वती पत्नी गिरधारीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 266/243 की कुल 13.1300हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 2 जिययसि हके नाम से दर्ज है व रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 127/118 की कुल 13.1310हैक्‍ प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण के दादा गिरधारीलाल एवं दादी सरस्वती पत्नि गिरधारीलाल का देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 है वादीगण के दादा /दादी के देहान्त होने के बाद वाद भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ,12 ,13 बराबर का हक हिस्सा है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है।

वाद भूमि वादीगण के दादा के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 जो वादी की बुआ/बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मोजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 56/55 की कुल 13.1310हैक्‍ व रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 46/38 की कुल 6.3240हैक्‍ में से 3.710हैक्‍ जो वादीगण के दादा गिरधारीलाल के नाम से दर्ज एवं राही मौजा चक टोपरिया बारानी के खाता संख्या 283/256 की कुल 1.0120हैक्‍ भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एंव रोही मोजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 266/243 की कुल 13.1300हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी इसी प्रकार रोही मौजा टापरिया बारीन के खाता संख्या 127/118 की कुल 13.1310हैक्‍ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हेमन्त पुत्र विजयसिह गोदारा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अजय गोदारा पुत्र प्रेमसिह गोदारा जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1 प्रेमसिह गोदारा पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 विजयसिह गोदारा पुत्र गिरधारीलाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
3 कृष्णा पुत्री गिरधारीलाल पत्नी धर्मपाल जाति जाट साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4 चन्द्रो पुत्री गिरधारीलाल पत्नी श्योनारायण जाति जाट साकिन चौबारा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
5 शारदा पुत्री गिरधारीलाल जाति महावीर सिहं जाति जाट साकिन चौबारा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
6 सावित्री पुत्री गिरधारीलाल पत्नी रामकुमार जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
7 सन्तोष पुत्री गिरधारीलाल पत्नी बृजलाल जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
8 बिमला पुत्री गिरधारीलाल पत्नी जयमल जाति जाट साकिन रोडावाली तहसील व जिला हनुमानगढ।
9 पुनम पुत्री प्रेमसिंह गोदारा पत्नी महावीर प्रसाद जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10 ज्योति पुत्री विजयसिह गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर ।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
12 रामुर्ति पत्नी प्रेमसिह गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
13 अंजना पत्नी विजयसिह गोदारा जाति जाट निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 340 सन 2019 निर्णय दिनांक– 11/02/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 56/55 की कुल 13.1310हैक्ट व रोही मौजा चक 2 बीकेके के खाता संख्या 46/38 की कुल 6.3240हैक्ट में से 3.710हैक्ट जो वादीगण के दादा गिरधारीलाल के नाम से दर्ज एवं राही मौजा चक टोपरिया बारानी के खाता संख्या 283/256 की कुल 1.0120हैक्ट भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ,2 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एंव रोही मोजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 266/243 की कुल 13.1300हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम यथावत रहेगी इसी प्रकार रोही मौजा टापरिया बारीन के खाता संख्या 127/118 की कुल 13.1310हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)